अपीलीय अधिकरण कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,जयपुर
पीठासीन अधिकारी डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 37/2025 (वरिष्ठ नागरिक अपील)

मदन सिंह खंगारोत पुत्र स्व. श्री भंवर सिंह, जाति राजपूत, निवासी मकान नम्बर 111/333, अग्रवाल फार्म मानसरोवर, जयपुर।

अपीलार्थी

बनाम

श्रीमती मुन्नी देवी पत्नी स्व. श्री भंवर सिंह, जाति राजपूत, निवासी मकान नम्बर 111/333, अग्रवाल फार्म मानसरोवर, जयपुर।

प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 16 माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम–2007 विरूद्व आदेश दिनांक 13.05.2025 उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय प्रकरण संख्या 48/2021 ब उनवानी श्रीमती मुन्नी देवी बनाम मदन सिंह खंगारोत।

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जिला जयपुर (राज.)

उपस्थित:

1. अपीलार्थी मय प्रतिनिधि उपस्थित।
2. प्रत्यर्थी मय प्रतिनिधि उपस्थित।

निर्णय **दिनांक 05.02.2026**

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिकरण उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय के प्रकरण संख्या 48/2021 ब उनवानी श्रीमती मुन्नी देवी बनाम मदन सिंह खंगारोत में पारित निर्णय दिनांक 13.05.2025 से व्यथित होकर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एस बी सिविल रिट पीटीशन नम्बर 9596/2025 में पारित आदेश दिनांक 13.05.2025 की पालना में अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर से प्रतिनिधि अभिभाषक श्री गजेन्द्र कुमार सैनी उपस्थित है। अधीनस्थ अधिकरण से मिसल मातहत तलब की गई। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

बहस उभय पक्ष की सुनी गई।

अपीलार्थी ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रत्यर्थी ने एक आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा–5 एवं 22 एवं सपठित धारा–23 माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 का अधीनस्थ अधिकरण उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अपीलार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना का अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष जवाब पेश किया गया। अपीलार्थी द्वारा उक्त सम्पति को पूर्ण रूप से ध्वस्त करवाकर नया निर्माण करवाया गया है। अपीलर्थी द्वारा अपनी स्वअर्जित आय से स्नेहवश उक्त सम्पति प्रत्यर्थी के नाम से खरीद की गई। अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी एक संयुक्त परिवार में होने की वजह से साथ–साथ रहते है। प्रत्यर्थी ने अपनी छोटी पुत्री के बहकावे में आकर उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रत्यर्थी द्वारा लगाये गये सम्पूर्ण आक्षेप निराधार है। प्रत्यर्थी के सम्पूर्ण इलाज का खर्चा अपीलार्थी ने उठाया है। प्रत्यर्थी द्वारा अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष प्रार्थना पत्र विधि के प्रावधानो के विपरीत पेश किया है। उक्त

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

अधिनियम में प्रार्थना पत्र केवल भरण पोषण के संबंध में दायर किया जा सकता है परन्तु प्रत्यर्थी ने उक्त विधि मे सम्पत्ति से संबंध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जबकि उक्त विधि में सम्पत्ति से संबंधित विवादो के निपटारे किये जाने के संबंध में कोई प्रावधान निहित नहीं है। सम्पत्ति से संबंधित विवादों के निपटारे का क्षेत्राधिकार माननीय दीवानी अधिकरण को प्राप्त है, परन्तु अधीनस्थ अधिकरण द्वारा प्रत्यर्थी के प्रार्थना पत्र पर निर्णय पारित कर कानूनी भूल की है, इस कारण अपीलाधीन आदेश आक्षेपित आदेश विधि विरूद्ध पारित किया गया है। प्रत्यर्थी द्वारा एक सिविल वाद माननीय अपर सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट क्रम संख्या 18 सांगानेर के समक्ष वाद संख्या 295/2022 बाबत कब्जा दिलाये जाने के संबंध में पेश किया था परन्तु प्रत्यर्थी ने उक्त वाद में जान बूझकर अनुपस्थित होकर अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज करवा लिया जबकि प्रत्यर्थी को उक्त प्रकरण में माननीय अधिकरण से निर्णय पारित करवाना चाहिए था। प्रत्यर्थी द्वारा जो वाद दायर किया गया था वह भी समान व उन्ही आधारों पर तथा वही अनुतोष चाहने बाबत किया गया था। उक्त वाद खारिज होने पर प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र Bard by Law होने से अस्वीकार किया जाकर खारिज फरमाये जाने योग्य है परन्तु प्रत्यर्थी द्वारा विधि की अवज्ञा करते हुये अधीनस्थ अधिकरण में इस संबंध में वाद प्रस्तुत कर निर्णय पारित करवाया है। उक्त अधिनियम में केवल माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिक के भरण पोषण व देखरेख के विधिक प्रावधान किये गये है, उक्त अधिनियम में सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकारी के संबंध में निर्णय पारित किये जाने के प्रावधान नहीं होने पर भी अधीनस्थ अधिकरण द्वारा विधिविरूद्ध निर्णय पारित कर कानूनी भूल की है। अपीलार्थी अपनी माता से अत्यधिक स्नेह करता है इसी स्नेह के कारण अपीलार्थी ने विवादित सम्पत्ति 111/333, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर योजना, जयपुर को प्रत्यर्थी के नाम रजिस्टर्ड करवाया था एवं अपीलार्थी ने उक्त सम्पति को खरीदने के बाद उसके क्षतिग्रस्त व जर्जर निर्माण को हटवाकर अपीलार्थी ने स्वयं की आय से उक्त सम्पत्ति पर प्रथम तल व द्वितीय तल का निर्माण करवाया है एवं अपने स्नेह के कारण अपनी माता को अपने साथ रखता है व सेवा सुश्रुषा करता है। उक्त सम्पति में सम्पूर्ण राशि अपीलार्थी द्वारा खर्च की गई है इस कारण उक्त सम्पत्ति में प्रत्यर्थी का कोई हक व अधिकार नहीं है। प्रत्यर्थी अपनी छोटी पुत्री रेखा कंवर व पति के बहकावे में आकर उक्त सम्पत्ति को खाली करवाना चाहती है क्योंकि प्रत्यर्थी की छोटी पुत्री का पति एक आवारा किस्म का व्यक्ति है एवं कोई कार्य नहीं करता है, जिस कारण प्रत्यर्थी की छोटी पुत्री पर कर्ज का भार है, इसी कारण प्रत्यर्थी से रेखा कंवर उक्त सम्पति को विक्रय करवाना चाहती है जबकि प्रत्यर्थी को उक्त सम्पति में किसी भी प्रकार का कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है क्योंकि अपीलार्थी ने उक्त सम्पति को अपनी स्व–अर्जित आय से क्रय कर उस पर निर्माण करवाया है। अपीलार्थी उक्त सम्पत्ति में बहैसियत मालिक निवास करता है, उक्त सम्पति को क्रय करने में अपीलार्थी ने अपनी सम्पूर्ण पूंजी खर्च कर उसका निर्माण करवाया है। अपीलार्थी का अपनी माता से अत्यधिक स्नेह करने कारण उक्त सम्पति मे रहने का अधिकार प्रदान किया है। अपीलार्थी अपनी माता से अत्यधिक स्नेह के कारण उक्त सम्पति को प्रत्यर्थी के नाम रजिस्टर्ड करवाया है जिस पर प्रत्यर्थी गलत रूप से दावा प्रस्तुत कर रहीं है। अधीनस्थ अधिकरण ने अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत उक्त तथ्यों पर गौर नहीं कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अधीनस्थ अधिकरण ने द्वारा स्वयं के क्षेत्राधिकार की परिधि से बाहर जाकर उक्त निर्णय पारित किया है क्योंकि कब्जे बावत कार्यवाही का वाद प्रत्यर्थी द्वारा सिविल न्यायालय में प्रस्तुत किया हुआ था जिस पर प्रत्यर्थी द्वारा सिविल न्यायालय से निष्कासन का अनुतोष पारित करवाया जा सकता था परन्तु प्रत्यर्थी द्वारा सिविल न्यायालय में जानबुझकर अनुपस्थिति कर खारिज करवाया है। प्रत्यर्थी को अपने पति के

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

राजकीय सेवा में कार्यरत होने की पारिवारिक पेंशन 30,000/– रूपये मासिक 4,000/–रूपये मासिक पी.एफ. से मिलते है जिससे प्रत्यर्थी अपना जीवन बहुत अच्छे से व्यतीत कर रही है एवं इसके अलावा प्रत्यर्थी के पास अन्य जमा पुंजिया भी है परन्तु अधीनस्थ अधिकरण द्वारा प्रत्यर्थी को प्राप्त होने वाली आय पर विचार नहीं किया गया। अधीनस्थ अधिकरण द्वारा अपीलाधीन आदेश में यह माना है कि प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को शर्तो के तहत बतौर लाईसेन्सी मकान के उपयोग उपभोग की इजाजत प्रदान की गई, किन्तु अधीनस्थ अधिकरण द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों की अवहेलना कर सीधे तौर पर बेदखली के आदेश पारित कर दिये जो अपास्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने के आदेश पारित करने हेतु निवेदन किया।

5. प्रत्यर्थी संख्या 1 के प्रतिनिधि ने बहस में कथन किया कि प्रत्यर्थी के दो पुत्रिया रेखा कंवर एवं मीरा कंवर एवं एक पुत्र अपीलार्थी मदन सिंह खंगारोत है। प्रार्थी के पति की मृत्यु वर्ष 1997 में हो गई थी। प्रत्यर्थी द्वारा अपनी पुत्रियो एवं पुत्र की शादी कर दी गई। प्रत्यर्थी की पुत्रिया अपने ससुराल में राजीखुशी निवास करती है तथा अपीलार्थी प्रत्यर्थी के पास ही उपरोक्त वर्णित परिसर में अपनी पत्नी एवं बच्चो के साथ निवास करता है। प्रत्यर्थी के मालिकाना हक की सम्पति प्लॉट नम्बर 111/333 अग्रवाल फार्म मानसरोवर योजना जयपुर पर स्थित है। जिसमें प्रथम तल पर दो कमरे एक हॉल किचन व लेटबाथ बने हुये है तथा द्वितीय मंजिल पर एक कमरा व लेटबाथ बने हुये है जो प्रत्यर्थी ने अपनी स्वयं की आय से बनाये गये है। प्रत्यर्थिया ने उक्त सम्पति स्वअर्जित आय से जरिये मुख्त्यारनामा क्रय कर प्लॉट का खाली, निजी एवं वास्तविक कब्जा दिनांक 22.12.2004 को ही मौके पर भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त कर लिया था। जिस पर प्रत्यर्थिया ने प्रथम तल पर दो कमरे एक हॉल किचन व लेटबाथ स्वयं की अर्जित आय से बनाकर निवास कर रही है। प्रत्यर्थिया के पति की मृत्यु के पश्चात अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुये अपीलान्ट एवं अपनी दोनो पुत्रियों को उनकी ईच्छानुसार पढाया लिखाया गया जिससे सभी अपने पैरो पर खडे है एवं अच्छी आय प्राप्त करते आ रहे है। प्रत्यर्थीया के पति की अकस्मात मृत्यु के पश्चात अपने पति के स्थान पर अपीलान्ट को अनुकम्पा नियुक्ति वर्ष 1997 में राजस्थान विश्वविद्यालय में उर्दू विभाग में दी गई। जिससे अपीलान्ट अपने परिवार के साथ खुश है। अपीलान्ट को अनुकम्पा नियुक्ति देते समय इस शर्त पर सहमति दी गई थी कि अपीलान्ट द्वारा प्रत्यर्थिया की सुख–दुख में पूर्ण सेवा–सुश्रुषा की जावेगी एवं उन्हे पूर्ण आदर सम्मान दिया जाकर उनके भरण पोषण एवं दौराने बीमारी ईलाज कराया जाकर उनका पूर्ण रूप से ध्यान रखा जावेगा तथा उसकी पत्नी द्वारा भी प्रत्यर्थिया को पूर्ण आदर व सम्मान दिया जावेगा। प्रत्यर्थिया द्वारा उक्त वर्णित सम्पति में अपीलान्ट को अपने परिवार सहित रिहायश कर प्लॉट के अलग–अलग कमरों एवं संयुक्त रूप से सम्पति का उपयोग एवं उपभोग करने की इजाजत मौखिक रूप से प्रदान की जाती रहीं है। प्रत्यर्थिया द्वारा अपीलान्ट के पुत्र की शादी में करीबन 10 लाख रूपये खर्चे के रूप में दिये गये थे, जिसके कारण प्रत्यर्थिया की जमा पूंजी भी खत्म हो गई है तथा उसके बाद प्रत्यर्थिया के पास कोई जमा पूंजी शेष नहीं होने के कारण अपीलान्ट द्वारा आये दिन प्रत्यर्थिया को हर प्रकार से प्रताडित करने लगा तथा शराब पीकर गाली गलौच व मारपीट करना तथा प्रत्यर्थिया को अपने स्वामित्व की परिसर में नीचे के एक छोटे से कमरे तक सीमित कर दिया तथा प्रत्यर्थिया की पेंशन को भी जबरन डरा–धमकाकर हडप जाता है। इसके बावजूद भी प्रत्यर्थिया की आवभगत से सेवासुश्रुषा बंद कर दी गई तथा बीमारी की अवस्था में किसी प्रकार का ध्यान करना बंद कर दिया गया तथा प्रत्यर्थिया की पुत्रियां द्वारा बार–बार समझाने अन्य रिश्तेदारों के

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

समझाने के बावजूद भी अपीलान्ट की प्रत्यर्थिया के प्रति प्रताड़ना कम नहीं हुई। प्रत्यर्थिया की पुत्रिया, नातेदार व रिश्तेदार जब भी प्रत्यर्थिया से मिलने आते है तथा प्रत्यर्थिया के सुख-दुख के हाल-चाल पूछते तो अपीलान्ट व उसकी पत्नी बच्चे प्रत्यर्थिया एवं आये हुये रिश्तेदारों के साथ अभद्र व्यवहार करते है तथा गाली गलौच करते है, जिससे प्रत्यर्थिया को अपने रिश्तेदारों के समक्ष शर्मिन्दा होना पड़ता है। प्रत्यर्थिया द्वारा अपीलान्ट को जिन शर्तो के तहत बतौर लाईसेन्सी प्रत्यर्थिया के उक्त वर्णित प्लाट में निर्मित मकानात का उपयोग एवं उपभोग करने हेतु इजाजत प्रदान की गई, उन शर्तो का अपीलान्ट द्वारा एवं उनकी पत्नी एवं बच्चों के द्वारा कभी भी पालन नहीं किया गया एवं अपीलान्ट एवं उनकी पत्नी को आदर एवं सम्मान नहीं दिया गया एवं ना ही भरण पोषण एवं बीमारी में प्रत्यर्थिया के ईलाज में किसी प्रकार का सहयोग प्रदान किया गया। उक्त व्यवहार से प्रत्यर्थिया मानसिक रूप से प्रताड़ित हो चुकी है। अपीलान्ट वर्तमान में पूर्ण रूप से आर्थिक रूप से सम्पन्न है तथा आय के पूर्ण स्त्रोत है। अपीलान्ट अपने परिवार की रिहायश हेतु कहीं भी अन्यत्र स्वयं की रिहायश हेतु सम्पति क्रय करने में पूर्ण रूप से सक्षम है। अपीलान्ट एवं उनकी पत्नी एवं बच्चो द्वारा प्रत्यर्थिया के साथ किये जाने वाले अभद्र व्यवहार एवं कृत्यों से प्रत्यर्थिया मानसिक रूप से अत्यधिक प्रताड़ित हो गयी है। जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट को मौखिक रूप से सूचित किया गया कि प्रत्यर्थिया द्वारा अपने मालिकाना हक के प्लाट में निर्मित मकानात का रिहायश हेतु उपयोग एवं उपभोग करने हेतु अपने मौखिक रूप से दी गई इजाजत को प्रत्यर्थिया आगे लगातार जारी नहीं रखना चाहती है एवं अपीलान्ट को दी गई उक्त अनुज्ञप्ति को तुरन्त प्रभाव से निरस्त करती है तथा अपीलान्ट अपने परिवार सहित रिहायश हेतु उपयोग एवं उपभोग करने हेतु मौखिक रूप से दी गई अनुज्ञप्ति का निरस्त समझे एवं वादग्रस्त सम्पति से अपना सामान एवं कब्जा हटा लेवे एवं सम्पति को खाली करते प्लाट का कब्जा प्रत्यर्थिया को संभलवा देवे। वादग्रस्त सम्पति में अपीलान्ट केवल मात्र एक अतिचारी है तथा प्रत्यर्थिया वादग्रस्त सम्पति में से अपीलान्ट को बेदखल कर सम्पति खाली करवाकर भौतिक कब्जा वापिस प्राप्त करने की कानूनन अधिकारी है। अधीनस्थ अधिकरण द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि सम्मत पारित किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

उभय पक्ष की ओर से की गई बहस को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं मिसल मातहत का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया ।

अपीलान्ट माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एस बी सिविल रिट पीटीशन नम्बर 9596/2025 में पारित आदेश दिनांक 13.05.2025 की पालना में अपील प्रस्तुत कर अधीनस्थ अधिकरण के आदेश दिनांक 13.05.2025 को अपास्त किये जाने का अनुरोध किया है। उभय पक्ष को सुनने एवं पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि विवादित सम्पति जरिये मुख्त्यारनामा प्रत्यर्थिया की स्वयं की क्रय शुदा सम्पत्ति है। अपीलान्ट द्वारा पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया की उक्त विवादित सम्पति उनके द्वारा क्रय की गई है। प्रत्यर्थिया द्वारा अपने पति की मृत्यु के पश्चात अपने पुत्र अपीलान्ट को सशर्त अनुकम्पा नियुक्ति की सहमति दी गई हैं। अपीलान्ट द्वारा विवादित भूमि के संबंध में पत्रावली पर स्वामित्व संबंधि कोई दस्तावेजात प्रस्तुत नहीं किये गये है। प्रत्यर्थिया द्वारा अपीलान्ट उक्त निवास पर रहवास करने की मौखिक सहमति दी गई थी किन्तु अपीलान्ट द्वारा प्रत्यर्थिया का भरण पोषण एवं सेवा सुश्रुषा नहीं कर एवं गाली गलौच कर आहत किया गया है। विवादित सम्पति पर प्रत्यर्थिया का मालिकाना हक है। अधीनस्थ अधिकरण द्वारा पारित आदेश में हम किसी प्रकार से त्रुटि नहीं पाते है। फलस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

8. आदेश की प्रति हस्ब कायदा धारा 16(7) के तहत उभय पक्षकारान को निः शुल्क भेजी जावे। आदेश की प्रति मय मिसल मातहत माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण एवं कल्याण अधिकरण उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

निर्णय आज दिनांक **05.02.2026** को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ॰ जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner